



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271564
CG-DL-E-04042026-271564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1664]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सं. 68/2025-26

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) में यूरिया [एक्सिम कोड 31021010] की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1729(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 54/2015-20 दिनांक 24.02.2023, 16/2015-20 दिनांक 22.03.2023, 79/2023 दिनांक 18.03.2024 और 65/2024-25 दिनांक 18.03.2025 के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 31 के आईटीसी (एचएस) कोड 31021010 के अंतर्गत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन करते हुए सरकारी खाते में यूरिया के आयात हेतु इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) की एसटीई स्थिति को दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाती है। अधिसूचना सं. 79/2023 दिनांक 18.03.2024 के अनुसार अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: सरकारी खाते में यूरिया (कृषि श्रेणी) का आयात, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.21 (राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात) के अधीन इंडियन पोटाश लिमिटेड (आइपीएल) के माध्यम से दिनांक 31.03.2026 तक अनुमत है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/102/एएम-02/पीसी-2(ए) पार्ट-II/ई-1715]

लव अग्रवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March 2026

No. 68/2025-26

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021010] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) - Regarding.

S.O. 1729(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, and in continuation of Notification Nos. 54/2015-20 dated 24.02.2023, 61/2015-20 dated 22.03.2023, 79/2023 dated 18.03.2024 and 65/2024-25 dated 18.03.2025, the Central Government hereby **extends the STE status of Indian Potash Limited (IPL) till 31.03.2027 for import of Urea on Government account**, by amendment in Import Policy Condition under ITC(HS) Code 31021010 of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy). All other terms and conditions remain the same as in the Notification No. 79/2023 dated 18.03.2024.

Effect of this Notification: Import of Urea (Agricultural grade) on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL), subject to Para 2.21 (imports by State Trading Enterprises) of FTP 2023, **till 31.03.2027**.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A) Part-II/E-1715]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.